

दि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड:नई दिल्ली  
कार्मिक प्रभाग

दिनांक: 08 अक्टूबर, 2015

आदेश सं. का.प./85/2015.

राजभाषा नीति के प्रावधानों के अनुसार उच्चाधिकारियों (उप महाप्रबंधक तथा उससे ऊपर) का दायित्व है कि वे टिप्पणियां आदि हिंदी में लिखें। इससे न केवल उनके अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने की प्रेरणा मिलती है, अपितु उनके द्वारा हिंदी में किए गए कार्य का राजभाषा संबंधी रिपोर्टों में उल्लेख किया जाना आवश्यक होता है। इन रिपोर्टों की समीक्षा अनेक स्तरों पर की जाती है।

अतः उच्चाधिकारी टिप्पणियां आदि हिंदी में लिखें और अपने सचिवालय में कार्यरत कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दें कि वे इनका रिकार्ड रखें तथा राजभाषा संबंधी रिपोर्टों में इनका उल्लेख करायें।

*संजीव शर्मा* / 08-10-15

(एस.के. शर्मा)

निदेशक (कार्मिक)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

निदेशक (विपणन)

निदेशक (वित्त)

मुख्य सतर्कता अधिकारी

सभी विभागाध्यक्ष

सभी शाखा प्रमुख

THE STATE TRADING CORPORATION OF INDIA LTD, NEW DELHI  
PERSONNEL DIVISION

Date: 08 Oct, 2015

Order No. PD/85/2015

According to the provisions of Official Language Policy of Govt. of India senior officials are required to write their notings etc., in Hindi. This will not only motivate their officers & employees working under them to do their work in Hindi, besides the work done by them in Hindi needs to be included in reports related to Official Language. These reports are reviewed at various levels.

Hence, the senior officials are to write their notings etc., in Hindi and instruct the employees working in their secretariates to keep a record of these notings and get them included OL reports.

*S.K. Sharma* 08.10.15  
(S.K. Sharma)  
Director (Personnel)

CMD

Director (Marketing)

Director (Finance)

CVO

All HODs

All Branch Heads